



उत्तर प्रदेश शासन  
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2  
संख्या-603/2026/1712/22-2-2025-17(186)/2016  
लखनऊ: दिनांक: 24 मई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी बदलू (बन्दी संख्या-26860) पुत्र श्री सदुल्ला, निवासी-सन्दवा, थाना-अजगैन, जनपद-उन्नाव, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-285/1983 में भा०द०वि० की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-06, उन्नाव के दण्डादेश दिनांक 24.05.1984 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक-14.08.2014 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-17.08.2016 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.04.2025 तक अपरिहार 10 वर्ष, 08 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 00 माह, 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार  
उप सचिव।

संख्या-603/2026/1712(1)/22-2-2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
- 3- पुलिस अधीक्षक, उन्नाव।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 5- निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को मा० राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
ममता श्रीवास्तव  
अनु सचिव।